न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– यशपाल आहूजा आर.ए.एस.

अनवान :– राजस्व वाद संख्या 189/2017

1. अंकित गोदारा पुत्र श्री सहदेव गोदारा जाति बिश्नोई साकिन 3 एल.एन.पी तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

– – वादी

–:: बनाम ::–

1. औमप्रकाश उर्फ जगदीश पुत्र श्री बीरबल राम जाति बिश्नोई साकिन 3 एल.एन.पी तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)।
2. सहदेव पुत्र श्री औमप्रकाश जाति बिश्नोई साकिन 3 एल.एन.पी तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
3. श्रीमती सुनीता पत्नी श्री सहदेव जाति बिश्नोई साकिन 3 एल.एन.पी तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
4. रविन्द्र कुमार पुत्र श्री औमप्रकाश जाति बिश्नोई साकिन 3 एल.एन.पी तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
5. श्रीमती राजकमल पत्नी श्री रविन्द्र कुमार जाति बिश्नोई साकिन 3 एल.एन.पी तहसील व जिला श्रीगंगानगर ।
6. मन्जू पुत्री श्री औमप्रकाश जाति बिश्नोई साकिन 3 एल.एन.पी तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
7. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, श्रीगंगानगर।

– – प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88, 53 आर.टी.ए. बाबत घोषणा व खाता तकसीम

–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1. श्री संजय जनवेजा अधिवक्ता	वादी
2. श्री रोबिन कुमार गुम्बर अधिवक्ता	प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6
3. पैरोकार राज	प्रतिवादी संख्या 7

–:: निर्णय ::–

दिनांक :– 05.10.2017

वादी ने प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 के विरूद्ध यह वाद अन्तर्गत धारा 53, 88 आर. टी.ए. के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसका संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है, कि प्रतिवादी संख्या 1 वादी का दादा है तथा प्रतिवादी संख्या 2–3 वादी के पिता व माता, प्रतिवादीगण संख्या 4–5 वादी के चाचा, चाची है तथा प्रतिवादिया संख्या 6 वादी की भुआ है। वादी एवं प्रतिवादीगण एक ही परिवार के सदस्य है तथा प्रतिवादी संख्या 1 के वंशज हैं।

प्रतिवादी संख्या 1, 2 व 4 के नाम से चक 1 एल.एन.पी व चक 3 एल.एन.पी तहसील व जिला श्रीगंगानगर में पुश्तैनी कृषि भूमि है। प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से वाके चक 1 एल.एन.पी तहसील व जिला श्रीगंगानगर का खाता संख्या 8 का मुरब्बा नम्बर 6, 9, 10, 27 की कुल 2.981 हैक्टर नहरी मय खाला कृषि भूमि दर्ज कागजात माल है, प्रतिवादी संख्या 2 के नाम वाके चक 3 एल.एन.पी के खाता संख्या 34 के मुरब्बा नम्बर 19 व 30 की 3.162 हैक्टर नहरी कृषि भूमि व प्रतिवादी संख्या 4 के नाम से मुरब्बा नम्बर 19 की 2.783 हैक्टर नहरी कृषि भूमि दर्ज कागजात माल है। जो कि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की विरासतन प्राप्त व पैतृक सम्पत्ति की आय से अर्जित की हुई सम्पत्ति है जो कि पैतृक सम्पत्ति की परिभाषा में आती है। नकल जमाबन्दीयां संलग्न वाद पत्र है।

लगातार 2

उपखण्ड अधिकारी

अतः प्रार्थी के रकबा चक 1 एल.एन.पी.के खाता संख्या 34/72 मुरब्बा नम्बर 27 के किला नम्बर 1, 2, 9, 10, 11, 12, 19, 20, 21, 22 के लिये अप्रार्थीयान के रकबा चक 1 एल.एन.पी. के खाता संख्या 82/71 मुरब्बा नम्बर 27 के किला नम्बर 15/1, 14/1, 13/1 के दक्षिणी हिस्सा में से 10–10 फीट चौड़ाई में स्वीकृत करनें के आदेश फरमाया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार, श्रीगगानगर से रिपोर्ट मंगवाई गई, मुताबिक रिपोर्ट प्रार्थी के पास अन्य कोई सुविधाजनक मन्जुर शुद्धा रास्ते का विकल्प नहीं है। पूर्व में इस मुरब्बा में कोई स्वीकृत शुद्धा रास्ता नहीं है। वादी में खातेदार की भूमि में से रास्ता देनें की एवज में मुआवजा राशि देनें हेतु सहमत है।

प्रार्थीगण एवम् अप्रार्थीगण के मध्य आपसी राजीनामा होनें के कारण न्यायालय में उपस्थित होकर राजीनामा प्रस्तुत किया जिसको प्रार्थीगण एवम् अप्रार्थीगण द्वारा पढ़नें समझने के बाद हस्ताक्षर किये प्रार्थीगण की पहचान श्री मनीष गर्ग अधिवक्ता तथा अप्रार्थीगण की पहचान श्री सुरेश कुमार बंसल अधिवक्ता द्वारा किये जानें पर राजीनामा तस्दीक किया गया।

उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत राजीनामा में कथन किया गया कि उक्त अनवानी शीर्षक दावा में पक्षकारान का पंचायत वा मौतबिरान लोगो ने राजीनामा करवा दिया है तथा पक्षकारान ने लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर अपनी स्वेच्छा से राजीनामा कर लिया है। पक्षकारान का अब कोई मनमुटाव नहीं रहा है। चक 1 एल.एन.पी. पटवार हल्का चक महाराजका तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 82/71 के मुरब्बा नम्बर 27 के किला नम्बर 3, 4, 5 प्रत्येक में 0.018 हैक्टर (डेढ़ बिस्वा) चौड़ा रास्ता उत्तरी दिषा में रास्ता के लिए पारस्परिक सहमति से अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 4 ने छोड़ दिया है तथा उक्त रास्ता की एवज में प्रार्थीगण के नाम दर्ज चक 1 एल.एन.पी पटवार हल्का चक महाराजका तहसील श्रीगंगानगर के संयुक्त खाता संख्या 34/72 के मुरब्बा नम्बर 27 के किला नम्बर 2, 9, 12 में अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 4 के रकबा से चिपती हुई 0.054 हैक्टर नहरी कृषि भूमि का कब्जा अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 4 को सपुर्द दिया है।

अतः अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 4 के नाम दर्ज चक 1 एल.एन.पी. पटवार हल्का चक महाराजका तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 82/71 के मुरब्बा नम्बर 27 के किला नम्बर 3, 4, 5 प्रत्येक में 0.018 हैक्टर (डेढ़ बिस्वा) चौड़ा रास्ता उतरी दिशा में स्वीकृत कर दिया जावे तथा उक्त रास्ता की जगह के बदले में प्रार्थीगण के नाम दर्ज चक 1 एल.एन.पी. पटवार हल्का चक महाराजका तहसील श्रीगंगानगर के संयुक्त खाता संख्या 34/72 के मुरब्बा नम्बर 27 के किला नम्बर 2, 9, 12 में अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 4 के रकबा से चिपती हुई 0.054 हैक्टर नहरी कृषि भूमि अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 4 की दर्ज करने के आदेश दिये जावे ।

उभय पक्ष को सुना गया उभयपक्ष नें राजीनामा के अनुसार ही रास्ता स्वीकृत करनें हेतु निवेदन किया उभयपक्ष के कथनों पर मनन किया गया पत्रावली का अवलोकन किया गया उपभपक्ष द्वारा प्रस्तुत राजीनामा तथा तहसीलदार श्रीगंगानगर की रिपोर्ट के अनुसार रास्ता स्वीकृत किया जाना न्यायोचित पाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

लगातार 3

– :: आदेश ::–

अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) के अन्तर्गत चक 1 एल.एन.पी. पटवार हल्का चक महाराजका तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 82/71 के मुरब्बा नम्बर 27 के किला नम्बर 3, 4, 5 प्रत्येक में 0.018 हैक्टर (प्रत्येक में डेढ़ बिस्वा) चौड़ा रास्ता उतरी दिशा गैर मुमकिन रास्ता घोषित किया जाता है। गैर मुमकिन रास्ता सार्वजजिक उपयोग हेतु रहेगा। रास्ते की भूमि के बदले में उभयपक्ष द्वारा अपनें राजीनामा अनुसार प्रार्थीगण के नाम दर्ज चक 1 एल.एन.पी. पटवार हल्का चक महाराजका तहसील श्रीगंगानगर के संयुक्त खाता संख्या 34/72 के मुरब्बा नम्बर 27 के किला नम्बर 2, 9, 12 में अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 4 के रकबा से चिपती हुई कुल 0.054 हैक्टर नहरी कृषि भूमि अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 4 की दर्ज करने के आदेश दिये जाते।

तहसीलदार श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में गैर मुमकिन रास्ता की भूमि का तथा रास्ते की भूमि के बदले में दिये जानें वाली भूम का अप्रार्थीगण के पक्ष में राजस्व रिकार्ड में अंकन करना सुनिश्चित करें।

निर्णय की प्रति तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को पालना हेतु भिजवाई जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

आदेश आज दिंनाक 25.10.2017 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर (राज.)

(यशपाल आहूजा)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर